न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — डा.नरेन्द्रकुमार थोरी, आर.ए.एस.

पी.डी.आर. प्रकरण सं. — 1/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		मैसर्स शिवमहादेव दूध पार्लर,जालोर प्रो.श्री भंवरलाल पुत्र मोहनलाल, जाति विश्नोई, निवासी दीगांव, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 4 लोक अभियाचन अधिनियम 1952

उपस्थितिः–

1.श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल–पाली,प्रार्थी की ओर से।

2.अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 16.11.2018

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने पत्र कमांक/एफएसएसए/2018/4340 दिनांक 24.5.2018 से धारा 3 लोक अभियाचन अधिनियम 1952 के तहत् मैसर्स शिवमहादेव दूध पार्लर, जालोर,प्रो. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई, निवासी दीगांव,तहसील रानीवाडा , जिला जालोर से न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जालोर के परिवाद सं. 5/2012 में अप्रार्थी पर आरोपित जुर्माना 25000/–अक्षरे पच्चीस हजार रूपये वसूली का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का तारीख पेशी 10.8.2018 का नोटिस बाद चस्पा प्राप्त हुआ लेकिन अप्रार्थी स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नही हआ है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्य अधिकारी, जालोर की ओर से श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल पाली इस प्रकरण में विभाग की ओर से पैरवी उपस्थित है, की बहस सुनी गई।बहस में प्रार्थी ने प्रकरण में वर्णित तथ्यों को दोहराया व वसूली प्रमाणपत्र जारी करवाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर के पत्र कमांक/ एफएसएसए/ 2018/4340 दिनांक 24.5.2018 के संलग्न प्राप्त धारा 3 के तहत् प्रमाण पत्र के अनुसार मैसर्स शिवमहादेव दूध पार्लर, जालोर,प्रो.भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई, निवासी दीगांव,तहसील रानीवाडा , जिला जालोर से न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जालोर के परिवाद सं. 5/2012, सरकार बनाम भंवरलाल, निर्णय दिनांक 18.2.2013 में अप्रार्थी पर आरोपित जुर्माना 25000/—अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की वसूली की जानी है। अप्रार्थी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2017/02 दिनांक 9.1. 2017, कमांक 52 दिनांक 16.3.2017,कमांक 3038 दिनांक 15.7.2017 से नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नही करवाई जा रही हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर द्वारा अन्तिम नोटिस कमांक 5770दिनांक 17.11.2017 से भी अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई ,मैसर्स शिव महादेव दूध पार्लर, राजेन्द्रनगर जालोर को उक्त राशि सात दिवस में जमा करवाने हेतु नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया लेकिन फिर भी अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नही करवाई जाना पाया गया , अतःउपरोक्त अप्रार्थी से राशि 25000/—मय ब्याज के वसूली योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मैसर्स शिवमहादेव दूध पार्लर, जालोर,प्रो.भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई, निवासी दीगांव,तहसील रानीवाडा , जिला जालोर से राशि 25000/—अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र मय 13प्रतिशत ब्याज(माह 12/2017 से) तथा 10 प्रतिशत वसूली खर्चा वसूल करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार वसूली प्रमाणपत्र जारी हो।

S.d.
(डा.नरेन्द्रकुमार थोरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 16.11.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(डा.नरेन्द्रकुमार थोरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ADDL. DISTT.COLLECTOR,JALORE
FORM NO-2
Certificate of Public Demand
(See Section-4)

No of Certificate	Name &address of authority sending requisition	Name & address of defaulter	Amount of public Demand including interest if any for which this certificate is signed & period for which such demand is due (and coststs,if any)	Further particulars of the public demand for which this certificate is signed
1	2	3	4	5
1/2018	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर	मैसर्स शिवमहादेव दूध –पार्लर,जालोर, प्रो.भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई, निवासी दीगांव, तहसील रानीवाडा , जिला जालोर	अप्रार्थी से 25000/–मय 13 प्रतिशत ब्याज वर्ष 12/2017से एवं 10प्रतिशत वसूली खर्चा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर द्वारा धारा 3 का प्रमाण पत्र जो न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जालोर के परिवाद सं. 5/2012 सरकार बनाम भंवरलाल, निर्णय दिनांक 18.2.2013 में अप्रार्थी पर आरोपित जुर्माना राशि की वसूली हेतु जारी किया गया है, के अनुसार

I hereby certify that the above mentioned sum of Rs 25000/-is due from the above named.

I further certify that the above mentioned sum Rs. 25000/- is justly recoverable & that its recovery by suit is not barred by law.

Date 16-11-2018

S.d.
Addl. Distt. Collector,
Jalore